भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1924

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना का प्रभाव

1924. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में वनों की कटाई के आकलन सहित कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान वन क्षेत्र की हानि को कम करने और वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त परियोजना के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए हैं या होने की संभावना है और उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या संबंधित राज्यों के बीच केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना से संबंधित अंतर्राज्यीय जल बंटवारे के मुद्दों को सुलझा लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे समझौतों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के अंतर्गत, परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए) अध्ययन किया गया है। ईआईए के अनुसार, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) और उसके आसपास के लगभग 6017 हेक्टेयर वन क्षेत्र को जलमग्नता और परियोजना हेतु अन्य रसद उपयोग के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

(ख): भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा एक एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) तैयार की गई है, ताकि आवास की गुणवत्ता में सुधार हो, निकटवर्ती संरक्षित क्षेत्रों (पीए) को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरीडोर का रख-रखाव किया जाए और बाघों, गिद्धों एवं घड़ियालों सहित प्रमुख प्रजातियों के समग्र संरक्षण एवं प्रबंधन को सक्षम बनाने के साथ-साथ ही दोनों राज्यों में पीटीआर और इसके आसपास के पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही वन आवरण को हुए नुकसान के लिए शमन उपाय

किये जाएँ एवं वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आईएलएमपी के व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) का गठन किया गया है।

(ग): दौधन बाँध के निर्माण के लिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआर अधिनियम, 2013) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। धारा 11 अधिसूचना के समय, लगभग 7193 परिवारों के परियोजना से प्रभावित होने का अनुमान लगाया था। मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज को मंजूरी दी है।

(घ): केबीएलपी से संबंधित अंतर-राज्यीय जल बंटवारे के मुद्दों को दिनांक 22.03.2024 को हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) के माध्यम से भागीदार राज्यों के बीच सुलझा लिया गया है। एमओए को निम्न यूआरएल पर देखा जा सकता है:
https://nwda.gov.in/upload/uploadfiles/files/Tripartite%20MoA%20of%20KBLP.pdf

*****